

।।कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा।।

ज्ञापन-2

कमांक / प्र.3 / भू-अर्जन / 2024

बेमेतरा, दिनांक

प्रति,

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
(जल संसाधन विभाग), बेमेतरा (छ0ग0)

विषय:- भू-अर्जन प्रकरण के धारा 11 की अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र एवं दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का ज्ञापन कमांक 245 / भू.अ./अ.वि.अ./2024, बेमेतरा, दिनांक 31.01.2024।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के भू-अर्जन प्रकरण प्रकरण में धारा-11 के प्रारंभिक अधिसूचना प्रारूप में कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर उपरांत उक्त अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र में एवं दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाना है।

उक्त अधिसूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। अतः धारा 11 अंतर्गत अधिसूचना का छ.ग. राजपत्र में एवं दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर राजपत्र की प्रति एवं दोनों समाचार पत्रों की मूल प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :- अधिसूचना की प्रति।

पृ0कमांक / 524 / प्र.3 / भू-अर्जन / 2024
प्रतिलिपि:-

भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी बेमेतरा (छ.ग.)
बेमेतरा, दिनांक 13/03/2024

1. कार्यालय कलेक्टर (एन.आई.सी. शाखा) बेमेतरा की ओर धारा 11 अंतर्गत अधिसूचना का वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सादर संप्रेषित।
2. कार्यालय तहसीलदार(माल-जमादार शाखा) बेमेतरा की ओर धारा -11 अधिसूचना को कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यालय ग्राम पंचायत ..उधरा..... के सूचना पटल पर चस्पा कर तामिल उपलब्ध कराने बाबत प्रेषित।

भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग
// प्रारंभिक अधिसूचना //

क्रमांक 399 / 26 मार्च 2023

बेमेतरा, दिनांक 26/03/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम नं. (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का नंबर	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
बेमेतरा	बेमेतरा	उधरा / 29	165/9	0.13	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा	डोटू व्यपवर्तन योजना के उधरा माइनर में प्रभावित भूमि
			165/1	0.09		
			165/8	0.01		
			165/2	0.10		
			165/3	0.12		
			189/1	0.02		
			189/2	0.06		
			175/1	0.35		
			175/2	0.03		
			178	0.31		
			332/2	0.17		
			332/1	0.13		
		योग :-	12	1.52		

- (2) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ता/लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधान निर्धारित के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है।
- (5) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014 दिनांक 02 मार्च 2015 के द्वारा अधिनियम 2013 के अध्याय "दो" एवं "तीन" के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
- (6) प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

भू-अर्जन एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.), बेमेतरा (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला बेमेतरा एवं पदेन उपसचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग